

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email-dfobag-forest-uk.nic.in / dfo_bageshwar@rediffmail.com

दूरभाष एवं फैक्स नं: 05963-220249 वन मित्र काल सेटर- 9208008000

पत्रांक 553 / 121-2
सेवा में,

बागेश्वर

दिनांक : 20/08 / 2022

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।

विषय - जनपद बागेश्वर अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 309 इ0 के कि0मी0 133.00 से 177.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण के सम्बन्ध में (प्रस्ताव संख्या -151113 / 2022)

सन्दर्भ- अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक सं0 2788 / FP/UK/ROAD/151113/2022 दिनांक 21.05.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है, कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर. फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा उक्त प्रस्ताव में जो आपत्तिया लगायी गयी है, प्रस्तावक विभाग द्वारा उनका निम्नानुसार निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

विन्दु सं0 1	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट-I के पैरा-(X) में वन भूमि कितने वर्षों हेतु प्रत्यावर्तित की जा रही है, इसकी सूचना अपलोड नहीं की गयी है। कृपया सही सूचना अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तित की सूचना प्रस्तावक विभाग द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पार्ट-I के पैरा A-1(x) में अंकित कर लिया गया है (संलग्न पार्ट-I की प्रति।
2	वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार, अधिशासी अभियंता को अधिकृत किया गया है, इसके अतिरिक्त ऑनलाईन अपलोड प्रमाण पत्र में उक्त हेतु श्री दीपक कुमार जोशी, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, रानीखेत को भी अधिकृत किया गया है। कृपया स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने हेतु श्री महेन्द्र कुमार अधिशासी अभियंता को अधिकृत किया गया है। प्रमाण पत्र ऑनलाईन पोर्टल पार्ट-I के पैरा A-3(xvii) में अपलोड कर लिया गया है।
3	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले ऑनलाईन पार्ट-II, para-5 में working plan की सूचना नहीं भरी है। उक्त सूचना यथास्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	working plan की सूचना ऑनलाईन पार्ट-II, para-5 में यथा स्थान पर अपलोड कर दिया गया है।
4	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee में प्रत्येक ग्राम के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित Village Level Committee के अधिकाश अनापत्ति प्रमाण पत्र पूर्व में ही वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में संलग्न किये गये हैं। शेष दो ग्रामों के (त्यूनरा, बिलौनासेरा) के प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये हैं।

	<p>प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट— I के पैरा L में क्षतिपूरक की सूचना अपलोड नहीं की गयी है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण दुगने वन भूमि में करते हुये सम्बन्धित क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के मानचित्र, के०एम०एल० फाईल , जी०पी०ए० कोआर्डिनेट की सूचना ऑनलाईन पार्ट— I एवं पार्ट— II में अपलोड कर दी गयी है।</p>	<p>प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट— I के पैरा L में क्षतिपूरक की सूचना अपलोड कर दी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण दुगने वन भूमि के क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना, क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के मानचित्र, के०एम०एल० फाईल , जी०पी०ए० कोआर्डिनेट की सूचना ऑनलाईन पार्ट— I एवं पार्ट— II में अपलोड कर दी गयी है।</p>
6	<p>प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित होने वाले वृक्षों के प्रमाण पत्र में वन भूमि प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या—6739 अंकित की गयी है। जबकि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भरे जाने वाले पार्ट— II में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 6596 अपलोड की गयी है। कृपया प्रभावित वृक्षों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें।</p>	<p>प्रस्ताव में आरक्षित वन, वन पंचायतीय, सिविल सोयम भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या 6596 है, तथा 143 वृक्ष नाप भूमि में प्रभावित हो रहे हैं।</p>
7	<p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण की DSS रिपोर्ट भी प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।</p>	<p>क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पूर्व में चयनित स्थल पालड़ी क०18, दुर्गीधार क० 05 पन्द्रपाली क०1 के क्षेत्रों को संशोधित कर क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र पन्द्रहपाली कक्ष स०—१ में 15 है०, पालड़ी कक्ष स०—०८ में 13 है०, हल्द्वानी कक्ष स०—०२ में 10 है०, पैसिया कक्ष स०—०१ में 6.224 है० क्षेत्र का चयन किया गया है, उक्त क्षतिपूरक भूमि की DSS रिपोर्ट प्रस्ताव में संलग्न सेवा में सादर प्रेषित।</p>

संलग्न:- 1— क्षतिपूरक वृक्षारोपण मानचित्र।
 2— क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्राकलन।
 3— DSS रिपोर्ट

भवदीय,


 (हिमांशु बागरी)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर